भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3779

दिनांक 16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मत्स्ययन उप-क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

3779. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मत्स्ययन उप-क्षेत्र का निष्पादन मध्य 1990 से कम हो रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं और मत्स्ययन उपक्षेत्र के कार्यनिष्पादन को सुधरने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मीठे पानी की मछलियों की घरेलू मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुंदेलखंड सहित देशभर में मीठे पानी की मछलियों की व्यापक संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बीच की जिम्मेदारियां अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इसका मुख्य कारण अंतरदेशीय ताजे पानी में मत्स्ययन की व्यापक संभाव्यता का दोहन करने में असमर्थता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतरदेशीय मीठे पानी के मत्स्ययन की संभाव्यता के दोहन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) से (ग) देश में मछली उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है जो वर्ष 1990-91 में 3.836 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 13.42 मिलियन मैट्रिक टन (अनन्तिम) हो गया है, जिसमें अन्तर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र का मछली उत्पादन में योगदान 9.70 मैट्रिक मिलियन टन का रहा। घरेलू मांग को पूरा करने और अन्तर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों को

धारणीय ढंग से काम में लाने के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दिसम्बर 2015 से देश में मत्स्यपालन और जलकृषि के विकास हेतु 3000 करोड़ रुपये की कुल लागत से 'नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन' पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) को कार्यान्वित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि अन्तर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने एवं अनप्रयुक्त जल संसाधनों के उपयोग के लिए विशेषतौर पर बुंदेलखंड में नदियों में मात्स्यिकी के विकास हेतु पालिसी, सामुदायिक तालाबों की दीर्घावधि लीज और कैप्चर मात्स्यिकी आधारित दीर्घावधि कल्चर हेतु जलाशयों में पिंजरों (केज) की स्थापन आदि का कार्य किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2006 के दौरान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) की स्थापना की है। एन.एफ.डी.बी. के गठन का मुख्य उद्देश्य (1) मात्स्यिकी और जलकृषि से संबंधित गतिविधियों का संकेन्द्रियकरण एवं व्यावसायिक प्रबंधन करना (2) खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा के लिए मछली और मात्स्यिकी के अंशदान को बढ़ाना (3) कैप्चर एवं कल्चर मात्स्यिकी से हुए उत्पादों के विपणन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एवं उत्पादन को उन्नत करना (4) मछली स्टाक सहित प्राकृतिक जलीय संसाधनों के संरक्षण और धारणीय प्रबंधन को प्राप्त करना (5) मात्स्यिकी से प्राप्त उत्पादकता और उत्पादन को सुधारने हेतु आनुवंशिक और जैव प्रोद्योगिकी के साथ विकास और अनुसंधान के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, (6) मात्स्यिकी हेतु आधुनिक अवसंरचना क्रियाविधि प्रदान करना, (7) पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करना, (8) मात्स्यिकी सेक्टर में महिलाओं का प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण।

(च) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित योजना अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास पर इसकी संभाव्यता को देखते हुए पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय प्रायोजित योजना अन्य बातों के साथ-साथ तालाबों के पुनरूद्धार और निर्माण, निवेश लागत, मछली सीड्स रिअरिंग इकाई, हैचरियों का निर्माण, मत्स्ययन क्राफ्ट और गियर का प्रबंध, मछली चारा मिल/संयंत्रों का स्थापन, जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में पिंजरों/पैन आदि का अधिष्ठापन, पुर्नसंचारी जलकृषि पद्धति (आर.ए.एस.), कौशल विकास प्रशिक्षण और पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना सुविधाओं आदि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को मछुआरों के सहयोग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

******